कार्यालय, जनपद न्यायालय, मथुरा
नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मथुरा के प्रागण में स्थित साइकिल स्टैण्ड के ऊपर न्यायालय एवं कार्यालयों से निकली हुई टूटी एवं अनुपयोगी वस्तुयें जैसे कि लकडी एवं लोहे की कुर्सियॉ, अलमारियों, टेविल, रैक, पुराने जनरेटर एवं न्यायालय परिसर की मरम्मत एवं अनुरक्षण के दौरान निकली हुई कुछ अन्य लोहे एवं लकडी का कबाड आदि की नीलामी दिनांक 03.01.2026 को सांय 04.30 बजे से किया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति/संस्था अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नीलामी में भाग लेवें

नीलामी की शर्तें :

1. नीलामी "जहाँ है जैसा है" (As is where is) के आधार पर की जायेगी।
2. इच्छुक व्यक्ति/संस्था किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक नीलाम किये जाने वाली सामग्री का अवलोकन कर सकते है।
3. इच्छुक व्यक्ति/संस्था को बोली में भाग लेने या बोली बोलने से पहले रु 5,000/– धरोहर धनराशि के रूम में जमा करना होगा।
4. उक्त स्क्रैप की न्यूनतम बोली 30/– रूपये प्रति किलोग्राम से प्रारम्भ होगी।
5. उच्चतम बोली के अन्तिम होते ही बोली बोलने वाले को कुल मूल्य का 25 प्रतिशत तत्काल नगद जमा करना होगा। तथापि नीलामी अधिकारी ऐसी अन्तिम बोली लगाने वाले व्यक्ति से 25 प्रतिशत से अधिक एवं अन्तिम मूल्य तक धरोहर राशि की माँग विवेकानुसार कर सकेगें। न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा न करने की दशा में बोली निरस्त कर दी जायेगी।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली के अनुमोदन के पश्चात शेष धनराशि 05 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उसके पक्ष में नीलामी निरस्त की जा सकती है।
7. नीलामी की गई समस्त सामग्री को 07 दिन के अन्दर उठाना आवश्यक होगा अन्यथा नीलामी अधिकारी माल की अभिरक्षा हेतु विकय मुल्य का 01 प्रतिशत प्रति दिन की दर से अतिरिक्त प्रभार निर्धारित करेगा।
8. नीलामी अधिकारी पर्याप्त कारणों से उच्चतम बोली को निरस्त कर सकेगा अर्थात ऐसी किसी बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा।
9. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत बोली को अनुमोदित्त नहीं किया जाता है, तब बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि लौटा दी जायेगी तथा उसके पक्ष में नीलामी शून्य हो जावेगी।
10. नीलामी की विषय वस्तु के सम्बंध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्तियों के द्वारा पंचाहट की जायेगी जिसका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

12.12.25

(अजय पाल सिंह)
अध्यक्ष, क्रय/ठेका नीलामी समिति,
अपर जिला न्यायाधीश,
मथुरा।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, मथुरा पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, मथुरा पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, सदर तहसील, मथुरा पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, मथुरा पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. सम्पादक, बृज गरिमा समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. सम्पादक, दैनिक राजपथ, समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सम्पादक, बृज उपहार, समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सम्पादक, दैनिक छोटी सी बात, समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. सूचना अधिकारी, मधुरा को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
10. सिस्टम ऑफिस, कम्प्यूटर कक्ष, जिला न्यायालय, मथुरा की बेवसाईट ecourts.gov.in/Mathura पर अपलोड करने हेतु।

12.12.25

(अजय पाल सिंह)
अध्यक्ष, क्रय/ठेका नीलामी समिति,
अपर जिला न्यायाधीश,
मथुरा।